

1-17015/2(2)/2022/एच.।।।/5
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(आवासन-।।।-अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 27.03.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम राशि (एचबीए) पर लागू ब्याज दर।

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 20.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5(2)-बी(पीडी)/2023 द्वारा ब्याज दर में संशोधन के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2023-24 (अर्थात् 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम राशि पर लागू ब्याज दर अगले आदेशों तक 7.5% रहेगी।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमिता
(अमिता गुप्ता) 27/03/2023

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061476

सेवा में,

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

सूचनार्थ प्रति:

1. माननीय मंत्री के निजी सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री के निजी सचिव, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. एनआईसी को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. आईटी सेल को ई-ऑफिस में अपलोड करने हेतु।